उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति

एक अध्ययन रिपोर्ट

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

VANI

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति

लेखक : वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

मार्च 2015

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु की प्रकाशक का उचित आभार प्रकट करते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

सहयोग : क्रिश्चियन एड

डिजाइनकर्ता : राजकुमार शर्मा

फोटो क्रेडिट : charkha.org
timesofindia.com
cavremadivasibachao.blogsp
indiamike.com

हिन्दी अनुवाद : डॉ. यश चौहान

प्रकाशक:
वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2,
नई दिल्ली 110 048
फोन : 011–29228127, 29226632
टेलिफैक्स : 011–41435535
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट : www.vaniindia.org

मुद्रक:
ब्राईट डिजाइन फोकस # 987360495
ईमेल : bright.designfocus@gmail.com

उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश, इंक्लेव–2,
नई दिल्ली – 110 048
फोनः 011–29228127, 29336632
फैक्सः 011–41435535,
ईमेलः info@vaniindia.org
वेबसाइटः www.vaniindia.org

विषय सूची

भाग–1

अध्ययन की पृष्ठभूमि.....03

भाग–2

प्रस्तावना.....04

अध्ययन के लक्ष्य 05

शोध पद्धति.....05

भाग–3

पांच उपद्रव–ग्रस्त राज्यों के मुद्दे.....05

(बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर पर्वी क्षेत्र और ओडिशा)

भाग–4

परिणाम.....24

संदर्भ ग्रंथ सूची..... 227

भाग–1

अध्ययन की पृष्ठभूमि

पिछले कुछ वर्षों में स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है; उन्होंने अधिक महत्व प्राप्त किया है और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अनेक प्रयास किये हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी प्रयासों को पूरित करते हुए समाज के समग्र विकास और उत्थान में निर्णायक भूमिका निभाई है। किन्तु इस क्षेत्र की मान्यता और योगदान की समाज के सभी वर्गों द्वारा उपेक्षा कर दी जाती है। इसीलिए वाणी ने यह महसूस किया कि देश में कार्यरत संस्थाओं की स्थिति के आकलन के लिए सामग्री की कमी रही है। इस जरुरत को आधार बनाते हुए वाणी ने यह कार्य आरंभ किया था। इसके अंतर्गत भारत के उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं के योगदान प्रभाव और चुनौतियों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

स्वैच्छिक संस्थाओं की एक शीर्ष संस्था होने के नाते वाणी ने अपने एडवोकेसी कार्य के अंग के रूप में ग्यारह राज्यों[1] की राज्य–स्तरीय नागरिक रिपोर्टें तैयार करने का काम हाथ में लिया। इस पहलकदमी को कानून प्रवर्तन मशीनरियों, राज्यों के सहायता कार्यतंत्रों, आंतरिक अभिशासन प्रणाली, क्षेत्र की पहचान और निधिदान या फंडिंग की स्थिति के संबंध में क्षेत्र स्तरीय डाटा प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर स्वैच्छिक संस्थाओं के सरोकारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया और स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण कैसे बनाना है, इस संबंध में नीति–निर्माताओं, संचार माध्यमों और आम लोगों को इसकी जानकारी दी गई।

यह अध्ययन संरचित प्रश्नावली और क्षेत्र दौरों के माध्यम से एकत्र द्वितीयक जानकारी और प्राथमिक डाटा पर आधारित था। इसके अलावा वाणी ने स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करते हुए इन राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित कीं। इसका उद्देश्य न केवल उनका फीडबैक प्राप्त करना था, बल्कि इस प्रक्रिया के स्वाामित्व को विकसित करना भी था। इसे स्वैच्छिक क्षेत्र के भीतर अलगाव को कम करने और सामूहिकीकरण की दिशा में एक कदम माना गया था।

ग्यारह[1] राज्यों की नागरिक रिपोर्टों के आधार पर स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्राइमर को वाणी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है[2] और साथ ही वाणी के सदस्यों तथा अन्य नेटवर्कों को इसकी जानकारी दी गई है। अंत में यह महसूस किया गया कि यह एक सतत रूप से यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में इस तरह की रिपोर्टों की जानकारी संचार माध्यमों (मीडिया), अकादमिक जगत के लोगों, सरकार और अन्य हितधारकों को देनी है। इसलिए वाणी ने वर्तमान वर्ष में उपद्रवग्रस्त राज्यों की पहचान की जो इस प्रकार हैः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र और ओडिशा।

[1] *आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र*

[2] *http://www.vaniindia.org/publication.php*

इसके साथ ही वाणी ने इन उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के मुद्दों को भी उजागर किया। इस पहलकदमी से नीति–निर्माताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि स्वैच्छिक संस्थाओं के मुद्दे क्या हैं और वे स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण बनाने में योगदान कर सकेंगे।

भाग–2

प्रस्तावना

भारत एक विशाल देश है और उसके संविधान, कार्यक्रमों और नीतियों ने सामाजिक–आर्थिक विकास में एक मुख्य भूमिका निभाई। आम लोगों का कल्याण, संवृद्धि और विकास संविधानिक दायित्व है और यह केंद्र सरकार तथा राज्य–सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं में आई अनेक कमियों को दूर करने के लिए अनेक पहलकदमियां की हैं। इनका लक्ष्य आम लोगों के जीवन स्तर और कल्याण में सुधार लाना है। सरकार के इन प्रयासों के बावजूद अभी भी ऐसे राज्य और क्षेत्र हैं जो सीमांतीकृत हैं, जो कम विकसित हैं और साथ ही जो उपद्रवग्रस्त हैं। ये क्षेत्र टकराव के अनेक रूपों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि अलगाववादी विद्रोह और टकराव, स्थानीय और प्रवासी लोगों के बीच टकराव, भाषा संबंधी झगड़े, सीमाओं को लेकर टकराव, आदि। उक्त चुनौतियों के संदर्भ में यह महसूस किया गया है कि स्वैच्छिक संस्थाओं ने पहले से और भी अधिक महत्व धारण कर लिया है। इसका कारण यह है कि प्रशासन लोगों तक, विशेष रूप में गरीब और कमजोर तबकों तक पहुंच नहीं बना पाया।[3]

उपद्रवग्रस्त राज्यों और क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं के हस्तक्षेप ने कमियों के अंतरों को दूर करने; लोगों के कल्याण में योगदान करने, वन अधिकार कानून (एफसीआरए), शिक्षा अधिकार (आरटीई), सूचना अधिकार (आरटीआई) और खाद्य अधिकार (आरटीएफ), आदि के लिए संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अपनी स्थापना के समय से ही वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए एक समर्थकारी वातावरण तैयार करने का कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में अपने हस्तक्षेपों के माध्यम से वाणी ने यह देखा कि उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाली छोटी और मंझोली संस्थाओं को नई–नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह भारत के संविधान द्वारा प्रदान किये गये जनतांत्रिक स्थान और अधिकारों को सीमित करता है। हालांकि अधिकतर कानून (जो स्वैच्छिक क्षेत्र पर लागू होते हैं) राष्ट्रीय स्तर के हैं; पर हर राज्य में उनकी अलग–अलग तरीके से व्याख्या की जाती है। इसी तरह पंजीकरण संबंधी कानून भी राज्य का विषय है, हर राज्य में विकास प्रयासों में भागीदारी का स्थान भी हर राज्य में

[3] *http://www.ijbmi.org/papers/Vol%282%294/version-1/D241935.pdf*

अलग–अलग है। इन सभी की वजह से मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यों पर अंकुश लगा है और सरकारी मशीनरी के काम के संबंध में अनेक मुद्दे खड़े हो गये हैं।

इसीलिए वाणी ने उपद्रवग्रस्त कहे जाने वाले कुछ राज्यों में यानी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुभवों और सीखे गये सबकों का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया है।

अध्ययन के लक्ष्य

1. 5 लक्ष्य राज्यों में उत्पीड़न के मुद्दों को समझाने और उनका विश्लेषण करना।
2. विभिन्न हितधारकों और विशेषकर नीति निर्माताओं के साथ एडवोकेसी करना।
3. एक बेहतर समर्थकारी वातावरण बनाने के लिए रणनीतियां तैयार करना।

शोध पद्धति

यह रिपोर्ट अनेक लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक सहभागितापूर्ण पद्धति को अपनाया गया है। इस अध्ययन में उपयोग कि गया दृष्टिकोण और पद्धति नियमित राज्य और क्षेत्रीय विचार–विमर्शों का परिणाम है।

शोध और दस्तावेजीकरण डाक्यूमेंटेशन: यह अध्ययन कार्यशालाओं और सीधे–सीधे स्वैच्छिक संगठनों के साथ आपसी संपर्क द्वारा प्राप्त द्वितीयक जानकारी और प्राथमिक आपसी संपर्क द्वारा प्राप्त द्वितीयक जानकारी और प्राथमिक डाटा का परिणाम है।

द्वितीयक जानकारी: सरकारी वेबसाइटों, स्वैच्छिक संगठनों के नेटवर्कों और स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में किये गये पिछले अध्ययनों से उपलब्ध जानकारी। इसके अलावा डाटा और इनपुट्स को पृष्ठभूमि आलेखों, रिपोर्टों और पत्रिकाओं से प्राप्त किया गया है।

प्राथमिक जानकारी: प्राथमिक डाटा का संग्रह वाणी द्वारा इन पांच उपद्रव–ग्रस्त राज्यों में वाणी द्वारा आयोजित राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से किया गया।

भाग–3

पांच उपद्रव-ग्रस्त राज्यों के मुद्दे

यह अध्ययन राज्य विशिष्ट क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति को समझने का एक प्रयास है। क्योंकि अलग–अलग प्रकार की विषयगत, भौगोलिक और रणनीतिक अभिमुख्ताओं के कारण स्वैच्छिक संस्थाएं विभाजित हैं, इसलिए इन समस्याओं को हल करने के लिए एक

समान सूत्र को समझना कठिन है। राष्ट्रीय सरकार के साथ शोध–आधारित एडवोकेसी करते हुए जो कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वह है ऐसे अंतरों का दस्तावेजीकरण करना और उन्हें दर्ज करना। किन्तु विभिन्न कार्यशालाओं के दौरान छोटी और मंझोली संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी और साथ ही शोधकर्ताओं द्वारा किये गये विश्लेषण के आधार पर मुद्दों को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इस रिपोर्ट को स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उनके सम्मुख उपस्थित चुनौतियों को उजागर करते हुए सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।

इन पांच उपद्रव–ग्रस्त राज्यों के मुद्दों पर नीचे विचार किया गया है।

बिहार

बिहार बाढ़, भूकंप, तेज वेग वाली हवाओं, शीत लहर और साथ ही गर्मियों में गांव में बार–बार लगने वाली आग जैसे अनेक आपदाओं से संभावित क्षेत्र है। काफी समय से यहां बार–बार बाढ़ आने की घटनाएं होती रही हैं। बिहार राज्य का कुछ बाढ़–संभावित क्षेत्र उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत (68.8 हजार को किलोमीटर) है, जबकि यहां देश का 17.2 प्रतिशत बाढ़–संभावित क्षेत्र है और देश की 22.1 प्रतिशत बाढ़ प्रभावित आबादी यहां रहती है। बिहार के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति सबसे अधिक गंभीर है। हर वर्ष यहां विशाल भू–क्षेत्र जनमग्न हो जाता है और बड़ी संख्या में गांव असहाय हो जाते हैं। इससे अक्सर उनकी फसलों, मवेशियों, संपत्ति और जीवन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर दक्षिणी बिहार सूखा–संभावित क्षेत्र है।[4]

इस क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं पर इनमें से निर्धनता, आजीविका के मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच, गहरे जड़े जमाये, जाति व्यवस्था और सामंतवाद प्रमुख हैं। यह महसूस किया गया है कि सबसे पहले समुदाय को आजीविका के लिए नियमित रोजगार की जरूरत है।[5]

परामर्श में उजागर किया गया एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि क्षेत्र से केस स्टडीज और कार्य के सर्वोत्तम व्यवहारों का अभाव है। यह पाया गया कि सहभागियों ने मुखरता के साथ अपने प्रति उत्पीड़न और अपनी चुनौतियों के उदाहरण प्रस्तुत तो किये पर भय की वजह से वह इन्हें लिखित में देने को तैयार नहीं थी। स्वैच्छिक संस्थाओं को उनके सम्मुख उपस्थित मुद्दों और चुनौतियों को उजागर करना चाहिए।

– 23 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में महत्वपूर्ण राज्यों में समर्थकारी वातावरण पर राष्ट्रीय परामर्श

[4] *वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट अप्रैल 2012 से मार्च 2013, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन, पटना*
[5] *वही*

बिहार में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और प्रभाव

बिहार में स्वैच्छिक संस्थाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आरंभ किये गये कार्यक्रमों और योजनाओं के संचालन में सहायक रही हैं। इनके माध्यम से स्वैच्छिक संस्थाएं सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए संसाधनों तक सीधी पहुंच हासिल कर सकती हैं। संचालित किये जाने वाले कार्यक्रम और कार्यकलाप इस प्रकार हैं:[6]

क) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता पर बल देते हुए स्वास्थ्य शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की प्रोन्नति।

ख) आय जनन, उचित वेतन सुनिश्चित करना, सरकारी रोजगार जनन कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाना।

ग) अनौपचारिक शिक्षा और बालिकाओं के लिए भागीदारी के समान अवसर।

घ) राहत और पुनर्वास हस्तक्षेपों के संबंध में जागरूकता लाना और विपदा तैयारियों पर आग्रामी कार्यक्रम चलाना।

ड) समुदाय का संगठन, सामाजिक लामबंदी पहलकदमियां और बिहार के अन्य जिलों में फैले अधिकतर क्षेत्रों को परिधि में लेने के लिए वहां क्षेत्रीय कार्य।

च) संस्था के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण, सीमांतीकृत लोगों के विकास के प्रासंगिक मुद्दों पर विषयगत प्रकाशनों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार।

मुख्य मुद्दे और उनके निहितार्थ

1. ***बाहर से संस्थाओं का प्रवेश:*** राज्य के व्यवहार से स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रवेश की वजह से स्थानीय संस्थाओं को अवसरों से वंचित होना पड़ता है। यह पाया गया है कि बाहर से आने वाली स्वैच्छिक संस्थाएं अधिक तकनीकी तरीके से कार्य करती हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं में सूचना और विशेषज्ञता की दृष्टि में कमियां हैं।

2. ***कौशल में कमी:*** स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने एक समस्या उनके कर्मचारियों में कौशलों का अभाव है जिससे उनकी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। कंप्यूटर, अंग्रेजी भाषा में विशेषज्ञता का अभाव है; जिनका संबंध परियोजना तैयार करने, दस्तावेजीकरण करने, डाटा बेस और प्रस्तुतीकरण तैयार करने से है। इससे स्वैच्छिक संस्थाओं को अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं।

3. ***कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:*** निम्न संचार, परिवहन सुविधाओं का अभाव, खराब सड़कें और ब्लैक आउट तथा बिजली की सुविधा का अभाव, स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित

[6] *http://www.ssvk.org/activities.htm#*

वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान प्राप्त विदेशी अनुदान का व्यापक विश्लेषण			
राज्य	राशि (करोड़ में) वित्त वर्ष 2011–12	राशि (करोड़ में) वित्त वर्ष 2010–11	राशि (करोड़ में) वित्त वर्ष 2009–10
बिहार	179.31	144.11	138.78
आंध्र प्रदेश	1258.52	1176.79	1324.87

स्रोतः 2009–10, 2010–11 और 2011–12 की एफसीआरए वार्षिक रिपोर्ट

समस्याओं को और भी बढ़ा देता है। बाढ़ों और अन्य प्राकृतिक विपदाओं के दौरान क्षेत्रीय कार्यकलाप काफी चुनौतीपूर्ण थे। विदेशी अनुदानकर्ता भी उन स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद करने में अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं जिनके पास बेहतर सुविधाएं हैं; जबकि दूसरी संस्थाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

4. ***सरकार योजनाएं और कार्यक्रमः*** इस समय टेंडर जारी करने की जो प्रणाली है उससे स्वैच्छिक संस्थाओं के सम्मान पर आंच आई है। टेंडर व्यवस्था जारी करने से स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच प्रतियोगिता बाकी है। स्वैच्छिक संस्थाएं सरकारी सहायता पर निर्भर हो गई हैं।

एपीएमएएस जोकि तकनीकि संसाधन संस्था और सार्वजनिक निजी साझेदारी है, आंध्र प्रदेश की एक गैर–सरकारी संस्था है। पिछले कुछ वर्षों में यह संस्था राष्ट्रीय स्तर के संसाधन संगठन के रूप में उभर कर आई है। संस्था भारत में महिला स्वयं सहायता आंदोलन को तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान कर रही है और आजीविकाओं को प्रोन्नत कर रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान इसने सीधी भागीदारी के माध्यम से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर (असम और मणिपुर), ओडिशा, राजस्थान, तेलंगान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सेवाएं प्रदान की हैं।[7]

- *एपीएमएस ने बिहार में स्पर (सपोर्ट प्रोग्राम फार अर्बन रिफार्म्स) जोकि एक राज्य सरकार की पहलकदमी है – सहयोग किया।*[8]

[7] *http://www.apmas.org/annual13-14.pdf*
[8] *वही*

सिफारिशें

- **समय पर निधियां जारी करना:** सरकारी सहायता वाली परियोजनाओं की राशि समय पर जारी की जानी चाहिए। इससे कार्यकलापों को पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही समय–समय पर सरकार के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं के मुद्दों पर विचार करने के लिए संवाद किया जाना चाहिए।
- **संसाधनों की लामबंदी या संसाधन जुटाना:** फंडिंग निधिदान वैकल्पिक स्रोतों की छानबीन करने और उनका पता लगाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाओं को व्यक्तिगत और संस्थागत योगदान प्राप्त करने चाहिए और अपने वित्तीय स्थायित्व के लिए मूल निधि (कोर्पस) तैयार करना चाहिए।
- **जमीनी स्तर की संस्थाओं का आंतरिक क्षमता–वर्धन:** संस्था के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनका क्षमता वर्धन किया जाना चाहिए। इससे वर्तमान मानव संसाधनों के कौशलों का विस्तार होगा और वे नये तथ्यों, नीति परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- **स्वैच्छिक संगठनों की विश्वसनीयता:** इस समय स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए सार्वजनिक रूप से स्वीकृत कोई विश्वसनीयता श्रेणीकरण कार्यतंत्र नहीं है। यह एक ऐसा कार्यतंत्र होना चाहिए जो अच्छी संस्थाओं को बुरी संस्थाओं से अलग कर सके। इसीलिए स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए ऐसा समान रूप से स्वीकृत विश्वसनीयता कार्यतंत्र बनाने की जरूरत है जो स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि को बचा सके, उसे सुरक्षित रखे।
- **क्षेत्र के भीतर सामूहीकरण और सहयोग को प्रोन्नत करना:** स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच बेहतर नेटवर्किंग और सामूहिकीकरण से अधिक सहमति–आधारित सामूहिक नियमन अस्तित्व में आयेगा। एक उत्तरदाता का कहना था कि लोगों और समुदाय के साथ सामूहिक संगठन संबंधों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाओं को सामूहिकीकरण करने और राज्य स्तरीय नेटवर्क बनाने की जरूरत है ताकि अपने सामने उपस्थित मुद्दों और चुनौतियों को लेकर काम कर सकें।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य रूप से एक जनजातीय क्षेत्र है और यहां देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन (कवर) है। वनवासी आबादी और मुख्यतः आदिवासियों के वन भूमि और उसके संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देने के संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम मील का पत्थर है। यह राज्य नक्सल मुद्दों से घिरा है और आम तौर पर इसे उपद्रवग्रस्त माना जाता है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह राज्य समृद्ध है और खनन यहां के प्रमुख कार्यों में से एक

है। यहां समुदाय–आधारित, वन अधिकारों और भूमि अधिकारों, महिला सशक्तीकरण और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और प्रभाव

23 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के सहभागियों ने जैसा कि बताया, "इतिहास यह दर्शाता है कि गैर सरकारी संस्थाएं पिछले 60 सालों से कठिन क्षेत्रों में काम कर रही हैं और यह गर्व की बात है कि गैर–सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप ने जब से लेकर आज तक विकास कार्यक्रमों में अपना योगदान किया है। इसके विपरीत सरकार ऐसा स्थान तैयार नहीं कर पाई है और सामाजिक–आर्थिक एजेंडा तथा संवृद्धि को माडलों को कार्यान्वित नहीं कर पाई है। उदाहरण के लिए गैर–सरकारी संस्थाओं के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आपसी विश्वास के संबंध बने हैं।"

"मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भूमि का अधिग्रहरण है जो इस समय किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता समुदाय की ओर से हस्तक्षेप कर रहे हैं और जल, जंगल और जमीन की मांग कर रहे हैं उन्हें राष्ट्र–विरोधी करार दिया जा रहा है। इसी प्रकार वन भूमि के मुद्दों को लेकर संघर्ष को मंद नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के साथ वाणी का संपर्क अच्छा है जिससे वह विश्वसनीयता के पैरामीटर्स की प्रणाली विकसित कर सकती है।[9]

मुख्य मुद्दे और निहितार्थ

1. **स्वैच्छिक क्षेत्र की भ्रमित पहचानः** **"सृजन केन्द्र, छत्तीसगढ़ के श्री मुरलीधर चंद्रम का विचार है** कि वर्तमान समय स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए चुनौतियों से भरा है; और यह एक साथ आने, रणनीति बनाने और चुनौतियों पर पार पाने का एक उचित समय है। एक इकाई के रूप में एकताबद्ध होने और इन मुद्दों को लेकर एडवोकेसी करने की जरूरत है। *20 सितंबर, 2013 को रायपुर में आयोजित वॉइस 2013ः स्वैच्छिक क्षेत्र का सामूहिकीकरणः सीबीओज–वीओज फाउंडेशनः एक त्रिपक्षीय संबंध।*
2. **स्वैच्छिक क्षेत्र के भीतर सामूहिकीकरण और सहायोगः** आंतरिक अशांति की वजह से स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका में गिरावट आ रही है और हमारा दायित्व है कि स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका और मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रयास करें ताकि वह रायपुर में आत्म–विश्वास के साथ कार्य कर सकें जहां स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक आवश्यक है। "एक अन्य उत्तरदाता ने छोटी संस्थाओं और आंतरिक अभिशासन प्रणाली की दुर्दशा को उजागर किया। यह कहा गया कि कर्मचारियों का संरक्षण होना चाहिए और उनकी सेवाओं की सुरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए।"

---

[9] *राज्यों में समर्थकारी वातावरण को सक्षम करने पर नई दिल्ली में 23 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन*

3. **क्षेत्र को विनियमित करने की बजाये उसे नियंत्रित किया जा रहा है:** नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक, श्री अमिताभ बेहर का कहना था कि पिछले 20 वर्षों में राज्य की भूमिका में एक मूलगामी बदलाव देखा गया है।

4. **स्वैच्छिक संगठनों के लिए संसाधनों/अनुदानों की बदलती हुई प्रकृति:** स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच का संबंध बदला है। पहले वे विकास में साझेदार थे, पर अब स्वैच्छिक संस्थाएं उप–ठेकेदार बन गई हैं।

   "सेवा प्रदायगी और सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप एक उप–ठेकेदार प्रणाली अस्तित्व में आई है और संस्थाएं राज्य के उत्पीड़न से असुरक्षित हो गई हैं।"

   निगमित सामाजिक दायित्व के आने से विकास प्रक्रिया में निगमित क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है और देश के विकास के लिए आवंटित योजनाओं, नीतियों में उनकी राय अधिक मानी जाती है। इस बदलते हुए परिदृश्य में स्वैच्छिक की भूमिका और योगदान पर विचार किया जाना चाहिए। किन्तु यह देखा गया है कि क्षेत्र के भीतर भी असंगति मौजूद है। हम आकार के यानी छोटी, मंझोली और बड़ी संस्था होने के आधार पर अपने बीच ही अंतर ला रहे हैं जो कि चुनौतीपूर्ण है।[10]

   "एक सहभागी का कहना था सरकार के साथ एडवोकेसी करना आवश्यक है और इसी प्रकार सरकार से परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को रोकना भी जरूरी है।"

5. **अधिकार–आधारित दृष्टिकोण होने पर फंडिंग में कमी:** अनुदानकर्ताओं के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और एफसीआरए 2010 तथा प्रत्यक्ष कर कोड विधेयक 2009 के कठोर प्रावधानों के चलते अधिकार–आधारित संगठनों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इससे देश में स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्य के स्थान में कमी आई है। बहुत कम अनुदानकर्ता संस्थाएं समुदाय के अधिकारों और हकदारियों के उन अधिकार आधारित मुद्दों के लिए अनुदान दे रही हैं। जिनमें नीतियों और कार्रवाइयों के सवाल उठाने के लिए समुदाय को लामबंद किया जाता है या सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है।

   "उन स्वैच्छिक संस्थाओं को सबसे अधिक निशाना बनाया जा रहा है जो अधिकार आधारित दृष्टिकोण, एफआरए, पीडीएस, मनरेगा, महिला सशक्तीकरण, आदि को लेकर काम कर रही हैं।

6. **विशेषकर जमीनी स्तर की संस्थाओं में तकनीकी योग्यताओं का अभाव:** जमीनी स्तर की संस्थाएं अलगाव में काम करती हैं और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वे जानकारी प्राप्त नहीं कर पातीं। उनके लिए क्षमता–निर्माण और प्रशिक्षण सहायता का अभाव है।

---

[10] *सीबीओ–वीओ फाउंडेशनः पर स्वैच्छिक क्षेत्र के सामूहीकरण पर त्रिकोणीय संबंध बनाने हेतु वॉइस 20 सितंबर 2013 को रायपुर में आयोजन*

श्री अमिताभ बेहर, कार्यकारी निदेशक, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आजादी के बाद से राज्य ने देश की समग्र विकास प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई। किन्तु पिछले 20 वर्षों में राज्य की भूमिका में एक बदलाव देखा गया है। राज्य का उत्तरदायित्व घट रहा है और कल्याणकारी राज्य के स्थान पर नियमनकारी राज्य की अवधारणा आ गई है।

फाउंडेशनों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दस वर्ष पहले फाउंडेशनें विचार–विमर्श का अंग नहीं थीं। वे पीछे रह कर काम करती थीं और दोनों पक्ष यानी स्वैच्छिक क्षेत्र और फाउंडेशनें एक दूसरे की भूमिका के बारे में स्पष्ट थीं। पर अब देखा गया है कि निजी क्षेत्र आगे आ रहा है। निजी क्षेत्र ने व्यवसाय में श्रेष्ठता हासिल की है और अब निजी कंपनियों को ऐसा लग रहा है कि उनके पास समाज की सभी समस्याओं का हल है और वे इस क्षेत्र में सबसे बढ़चढ़ कर हैं। इसके विपरीत स्वैच्छिक संस्थाएं जमीनी स्तर की वास्तविकता को समझती हैं और वे लम्बे समय से समुदाय के साथ जुड़ी रही हैं।

उन्होंने कहा कि वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) मुख्यत: विकास संगठनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और विकास संगठनों को उनके नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है।

– वाइस 2013, रायपुर में 20 सितंबर 2013 को आयोजित: स्वैच्छिक क्षेत्र का सामूहिकीकरण: सीबीओज–वीओज फाउंडेशन: एक त्रिपक्षीय संबंध

सिफारिशें

उत्तरदाताओं के विचारों के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की गईं:

- सरल भाषा में स्वैच्छिक क्षेत्र में अपने साझेदारों के साथ जानकारी को बांटना और परिपत्रित (सर्कुलेट) करना।
- छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मजबूत नेटवर्क की जरूरत है जो स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण को प्रोन्नत और निर्मित कर सके।
- क्षेत्र में हर तीन महीने में एक बार कार्यशालाओं का आयोजन करना और आंतरिक अभिशासन और प्रबंधन के संबंध में स्वैच्छिक संस्थाओं का क्षमता–निर्माण करना।
- अधिकार–आधारित दृष्टिकोण से कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियों को लेकर कार्य करना।
- नेटवर्क और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपनी–अपनी संस्थाओं में जिम्मेदारी लें और प्रशिक्षण आयोजित करें इसमें वाणी उन्हें संसाधन व्यक्ति उपलब्ध करायेगी।
- स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य सरकार के साथ एडवोकेसी का कार्य करने और अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं की शिकायतों को लेकर काम करने के लिए वाणी की सहायता की जरूरत है।

– 27 अक्टूबर 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य की यात्रा

झारखंड

यहां हाल के समय में अनेक गैर–सरकारी संगठन महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों को लेकर सामाजिक लामबंदी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये मुद्दे इस प्रकार हैं – महिला सशक्तीकरण, मानव अधिकार और विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। भारत की गैर–सरकारी संस्थाओं ने अपने सघन अभियानों, जन लामबंदी कार्यक्रमों और प्रभावकारी नेटवर्कों के माध्यम से सामाजिक लामबंदी और सामाजिक सक्रियता में भारी योगदान किया है। एक सामाजिक शक्ति के रूप में गैर'सरकारी संगठन वांछित लक्ष्य हासिल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन लामबंदी को सुगम बनाता है। गैर–सरकारी संस्थाएं विभिन्न जन–उन्मुख और जन–केंद्रित रणनीतियां अपना रही हैं।[11]

झारखंड में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और प्रभाव

झारखंड में स्वैच्छिक संस्थाएं सक्रियता से मुद्दों पर आधारित कार्य कर रही है। वे निम्न मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं – शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, वन, जल तथा स्वच्छता, जनजातीय अधिकार, मानव अधिकार, महिला सशक्तीकरण, आदि। इसके साथ ही वे स्वयं सहायता समूहों के गठन में, क्षमताओं को बढ़ाने और बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर रही हैं।

मुख्य मुद्दे और निहितार्थ

1. **बदलते अनुदान/निधिदानः** यहां बिडिंग और टेंडर–आधारित निधिदान उभार पर है। द्विपक्षीय एजेंसियों में कौशल, सक्षमता प्रबंधन और अभिशासन के स्तरों की वजह से ऐसे बड़े संगठनों की भागीदारी संभव हो गई है जो अपनी प्रकृति से ही तकनीकी प्रकार के हैं। वे परियोजनाएं मंजूर करा लेते हैं और बड़े टेंडर हथिया लेते हैं। दूसरी और छोटी और मंझोली संस्थाओं की स्थिति दुर्दशापूर्ण है और उनके सामने फंडिंग या निधिदान की समस्याएं मौजूद हैं। इस प्रकार की स्वैच्छिक संस्थाओं की प्रकृति और कार्यकलाप बदल रहे हैं और कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों के अभाव के कारण ये संस्थाएं समाप्त हो जायेंगी।
2. **स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए घटता हुआ स्थानः** अब गैर–सरकारी संगठन क्षेत्र में रुझान अलग हो गया है और अब यहां निगमित क्षेत्र का हस्तक्षेप है, जो कि सही नहीं है। उदाहरण के लिए यदि यह "जिंदल स्टील है या "मित्तल इंडस्ट्रीज" है तो अनेक स्वैच्छिक संगठन उनसे हाथ मिला रहे हैं। निगमित क्षेत्र की कंपनियां अच्छी सुविधाएं प्रदान करती हैं और वेतन भी अधिक देती हैं। यह हमारे क्षेत्र के लिए एक चुनौती है। हमारे क्षेत्र में

[11] झारखंड के सामाजिक–आर्थिक विकास में गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका *(http://www.ijbmi.org/papers/Vol%282%294/version-1/D241935.pdf)*

सवाल केवल एफसीआरए और अन्य नियमनकारी कार्यतंत्रों का नहीं है, बल्कि झारखंड के हर क्षेत्र में संघर्ष करने और जागरूकता पैदा करने का भी है। अगर कोई आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से अभियान चलाता है या पैरवी करता है तो उसे समाज विरोधी, माओवादी बता दिया जाता है और राज्य का तंत्र उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसी प्रकार स्वैच्छिक संगठनों पर हमले किये जा रहे हैं। इसीलिए प्रश्न अवसरों का है, स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए कम होते स्थान का है और आगे के रास्ते तैयार करने होंगे, ढूंढने होंगे। यह कार्य कठिन है, इतना आसान नहीं है।

"लोक जागृति केंद्र, देवघर के श्री अरविंद कुमार ने बल देते हुए कहा कि उनका मानना है कि किसी राजनीतिक कार्रवाई के बिना कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिलती। आगे उन्होंने झारखंड राज्य के सामने उपस्थित चुनौतियों के बारे में बताया। राज्य में विकास के मुद्दों पर काम करने वाली अधिकतर संस्थाओं के लिए संघर्ष और लड़ाई संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम (एसपीटी)[12] और छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम (सीएनटी)[13] के कार्यान्वयन को लेकर है।"

सहभागी शिक्षण केंद्र, लखनऊ के निदेशक, श्री अशोक सिंह का कहना था कि पिछले 10–15 वर्षों में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका में बदलाव आया है। सरकार ने सुरक्षा के खतरों से स्वैच्छिक संस्थाओं को जोड़ा है। स्वैच्छिक संस्थाओं के बजटों की भी मॉनीटरिंग की जा रही है।

वर्ष 2000–2010 से स्वैच्छिक क्षेत्र ने प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य कार्यों के माध्यम से पंचायतों को मजबूत बनाने का कार्य किया। पर सरकार ने इसके मूल्य को नहीं समझा। विदेशी अनुदान नियमन कानून (एफसीआरए) और प्रत्यक्ष कर अधिनियम अपने आप में नियंत्रणकारी और प्रतिबंधनकारी हैं। भारत में जो आर्थिक सुधार हुए और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जो वृद्धि हुई उससे यह स्पष्ट हुआ कि इनका भारत की आर्थिक नीति पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है। इन विचारों से उन निधिदान करने वाली एजेंसियों पर सीधा–सीधा प्रभाव पड़ा जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुदान दे रही थीं। उन्होंने धीरे–धीरे कर अपने कार्य में बदलाव लाया और निधियों मे कमी कर दी।

इसके विपरीत निगमित क्षेत्र की फंडिंग या निधिदान में वृद्धि हुई है। वे ऐसे सक्षम, पेशेवर, अनुभवी मानव संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं जो लाजिकल फ्रेमवर्क को तथा परिणाम आधारित प्रबंधन, इनपुट, आउटपुट विश्लेषण को लेकर कार्य कर सकें।

– 23 अप्रैल, 2012 को झारखंड में
"स्वैच्छिक क्षेत्र के अवसर और चुनौतियों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

---

[12] *एसपीटी अधिनियम संस्थाल परगना टेनेंसी एक्ट (भारत) है।*

[13] *सीएनटी अधिनियम से आशय छोआ नागपुर टेनेंसी अधिनियम 1908 से है। छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम को पारित हुए 103 वर्ष हो चुके हैं। 1908 में बनाया गया यह कानून आदिवासी भूमि अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से एक मार्गचिन्ह है। छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम 1908 भूमि की बिक्री को प्रतिबंधित करता है। उपायुक्त की मंजूरी के बिना ऐसा नही किया जा सकता। इसके अलावा यह आदिवासियों की भूमि को उनसे अलग करने को भी वर्जित करता है। इसके अलावा यह कानून आदिवासियों को उनकी भूमि लौटाने; या फिर जहां शहरों के उपयोग के लिए इस भूमि का उपयोग किया गया है, वहां उतनी ही भूमि उन्हें वापस देने का प्रावधान करता है।*

3. **स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच संबंधः** "एक सहभागी ने बताया कि 10 वर्ष पहले उसने उत्साह सिद्धांतों और संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र में अपना समय और ऊर्जा लगाई और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया और वह स्वैच्छिक क्षेत्र से पिछले 15–16 वर्षों से जुड़ा रहा है। पर जो संस्थाएं बाद में अर्थात 2–3 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आईं वे सफल हैं और उनके पास 1–2 करोड़ तक की परियोजनाएं हैं। यह ज्ञात नहीं है कि वे समान क्षेत्र में या संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रही हैं पर सरकार के साथ उनकी सांठगांठ है और इसलिए उन्हें परियोजनाएं आसानी से मिल जाती हैं। सिद्धांत में और हम जो टीम कार्य कर रहे थे उसमें बिखराव आया है। यह बड़े खेद और दुख की बात है कि विचारधारा और दृष्टिकोण में बदलाव आया है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक संस्था ने एक लाख रुपये में एक अन्य संस्था को खरीदने के लिए संदेश भेजा था। इस तरह संस्थाएं भी अब बिक रही हैं। पहचान का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।"[14]

4. **क्षेत्र के प्रतिधित्व का अभाव हैः** वाणी के श्री हर्ष जेतली ने नई दिल्ली में हाल में आयोजित सम्मेलन के दौरान प्रिया के निदेशक, डॉ. राजेश टंडन के इस वक्तव्य को उद्धृत किया कि "जहां हम काम करते हैं वहां हम यह नहीं बताते कि हम कौन हैं। कभी–कभी हम कहते हैं कि हम प्रोफैसर हैं ताकि स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति पर किसी भी संवाद और विचार–विमर्श से बचा जा सके। यह क्षेत्र पहचान की समस्या का सामना कर रहा है।"

5. **कौशलों का अभाव और सरकार के साथ मौन सहमति**–चुनौती यह है कि कार्य की दिशा क्या हो और क्या किया जाना चाहिए। अब तो निजी क्षेत्र भी शब्दावली बनाने लगा है और सामाजिक न्याय, समानता, समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण जैसी शब्दावली का उपयोग करने लगा है हालांकि उसके अपने मापदंड हैं। उदाहरण के लिए भारती फाउंडेशन के देश भर में स्कूल हैं और वे लोग केवल व्यय दिखाते हैं। सरकार भी आरामदेह स्थिति में है क्योंकि उनके एजेंडा को निजी क्षेत्र पूरा कर रहा है। आने वाले समय में मानव संसाधनों को लेकर संकट खड़ा होने जा रहा है।

6. **निधियां प्राप्त करने के लिए लाबीइंग और संदर्भों की जरूरत पड़ती है, जिनके बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता।** "एक उत्तरदाता का कहना था कि हमारी पारदर्शिता दांव पर लगी है और अधिकारी भी यह नहीं चाहते कि गैर–सरकारी संगठनों की संस्कृति विकसित हो। उदाहरण के लिए चार्टेड एकाउंटेंट पैसा खर्च करके ऑडिट रिपोर्ट जमा करते हैं और बने रहने के लिए गलत रास्ता पकड़ते हैं। इस प्रकार विभिन्न चुनौतियां मौजूद हैं। जब बात निजी क्षेत्र की आती है तो टेकओवर करने की बातें होती हैं। एनजीओज के बारे में यह भी कहा जाता है कि कोई भी एनजीओ खरीद सकता है।

---

[14] 23 अप्रैल 2012 को झारखंड में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए अवसर और चुनौतियों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

7. **मानव संसाधनों की कमी:** "सहभागी शिक्षण केंद्र के श्री अशोक सिंह ने बताया कि अभिशासन (जो कि पारदर्शी होना चाहिए), विस्थापन आदि जैसे मुद्दों को लेकर स्वैच्छिक संगठनों को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज स्वैच्छिक संस्थाओं के पास मानव संसाधनों का अभाव है। आज स्वैच्छिक संस्थाएं विकास कार्य के लिए देश में निधियां ला रही हैं। स्वैच्छिक संस्थाएं मानव संसाधनों को विकसित करती हैं और उनका क्षमता निर्माण करती हैं, पर दुर्भाग्य से कर्मचारी बेहतर वेतन के लिए दूसरा काम ढूंढ लेते हैं।"[15]

8. **एकता का अभाव:** "लोक जागृति केंद्र के श्री अरविंद कुमार ने स्वैच्छिक संस्थाओं के भीतर मौजूद आंतरिक टकरावों को उजागर किया। उनका कहना था कि "हम (यानी स्वैच्छिक संगठन) अपने आप में संगठित नहीं हैं; चुनौतियां तो हमारे बीच ही मौजूद हैं। हमें एफसीआरए, पंजीकरण कानून, आदि के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है।[16]

सिफारिशें

- **झारखंड में एक नेटवर्क की स्थापना:** झारखंड चेप्टर नेटवर्क को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इस संस्था का नाम झारखंड स्वैच्छिक कार्रवाई नेटवर्क (झारखंड वालंटरी एक्शन नेटवर्क है) इसे झारखंड के नागरिक समाज संगठनों ने सक्रियता के साथ गठित किया था। झारखंड वालंटरी एक्शन नेटवर्क(जेवीएएन) को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक ऐसा स्थान ढूंढा जाना चाहिए जहां से संस्था कार्य कर सके। नेटवर्क के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए पेशेवर कर्मियों की पहचान की जायेगी। जल्दी से जल्दी इस नेटवर्क का काम आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाये जायेंगे। अधिक सदस्यों को आमंत्रित और शामिल किया जायेगा। अनुवर्ती कार्य यानी फौलोअप कार्य के रूप में और स्वैच्छिक क्षेत्र के मुद्दों पर संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए 2–3 महीनों में राज्य–स्तरीय कार्यकलाप चलाये जायेंगे।

- **क्षेत्र के भीतर सामूहिकीकरण और सहयोग:** यह देखा गया कि स्वैच्छिक संस्थाओं में एक साथ कार्य करने के मामले में उत्साह का अभाव है। यही निष्क्रियता उन्हें एकजुट होने से रोक रही है। एक ऐसी पश्चगामी (रिग्रेसिव) शक्ति है जो ऐसा लगता है कि उन्हें सहयोग करने से रोक रही है। इसीलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए पहलकदमी की जानी चाहिए ताकि स्वैच्छिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। बेहतर नेटवर्किंग और सामूहिकीकरण से सहमति–आधारित सामूहिक नियमन भी सामने उभर कर आयेंगे।

---

[15] *स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति पर बैठक, रांची, झारखंड, 15 जुलाई 2014*
[16] *वही*

- **तकनीकी कौशल निर्माण और कर्मचारियों का क्षमता वर्धन:** छोटी और मंझोली संस्थाओं के लिए नियमित रूप से क्षमता–निर्माण, प्रशिक्षण प्रदान करने और कौशल–विकास के कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए ताकि वे क्षेत्र की वर्तमान और ताजा जानकारियों तथा घटनाक्रमों से अवगत रहें।
- **सरकार के साथ कार्य की रणनीतियां:** सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच संबंध को मजबूत बनाया जाना चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाओं को चाहिए कि वे सरकारी अधिकारियों को सेमिनारों, क्षमता–निर्माण कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में शामिल करें।
- **संसाधन लामबंद करना:** निधिदान के नये और वैकल्पिक स्रोतों की छानबीन करने की तत्काल जरूरत है। स्वैच्छिक संस्थाओं को व्यक्तिगत योगदान और संस्थागत योगदान प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनानी चाहिए और अपने वित्तीय स्थायित्व के लिए कोर्पस निधियां तैयार करनी चाहिए।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में सात राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) शामिल हैं। इन्हें अंग्रेजी में "सैवन सिस्टर स्टेट्स" भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का दो–तिहाई भाग पर्वतीय क्षेत्र है और यह घाटियों और मैदानी क्षेत्रों में फैला है। हालांकि इस क्षेत्र में व्यापक नदी प्रणालियां हैं, पर यहां बाढ़ों और नदी तटबंधों के क्षरण की वजह से जान–माल और आजीविका की भारी क्षति होती है। इस उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 52 प्रतिशत वनाच्छादित है। देश के संभावित पैट्रोलियम और प्राकृतिक का एक पांचवां हिस्सा यहां है।

इस क्षेत्र के अनेक भागों में विद्रोह और उपद्रव का माहौल है। क्षेत्र के सातों राज्य एक से अधिक टकरावों की चपेट में हैं: अलगाववादी विद्रोह, भारत से अलगाव, स्वायत्तता के लिए संघर्ष, अतः जनजातीय टकराव और जनजातियों के बीच टकराव, स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच टकराव, स्थानीय लोगों और बंगलादेश से आये मुसलमानों के बीच टकराव, भाषायी झगड़े, क्षेत्र के भीतर ही सीमा संबंधी विवाद, आदि। विकास की धीमी गति ने इस वातावरण को और भी गंभीर बना दिया है जिसे क्षेत्र का राजनीतिक विखंडन हुआ है। कठिन भूक्षेत्र, संघन वन आच्छादन और म्यानमार तथा बंगलादेश के साथ खुली सीमाओं की वजह से इन विद्रोहों को एक अनुकूल वातावरण मिला है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और प्रभाव

"भारत जैसे विशाल, बहुनस्लीय और सघन आबादी वाले देश में गैर–सरकारी संस्थाएं अर्थ व्यवस्था को रूप प्रदान करने तथा समावेशपूर्ण विकास को सुगम बनाने में अधिकाधिक रूप से निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। यहां सरकार के लिए हमेशा ही यह सुनिश्चित करना संभव नहीं होता कि विकास योजनाओं और नीतियों के लाभ समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंच सकें।"

"उत्तर–पूर्वी भारत के गैर–सरकारी संगठन में इस क्षेत्र के इन संगठनों के कार्यकलापों को उजागर करने और लोगों को समावेशपूर्ण संवृद्धि को सुगम बनाने में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया गया है। गैर–सरकारी संस्थाएं रक्तदान के और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के सूक्ष्म वित्त संगठनों और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को रूप देने में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका के संबंध में जागरूकता फैला रही हैं। इसके साथ ही गैर–सरकारी संस्थाएं विशिष्ट क्षमता–निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण करने में संलग्न हैं। वे मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं और इनके बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाती हैं।"[17]

मुख्य मुद्दे और निहितार्थ

1. **बिडिंग और टेंडरिंग की प्रणाली:** अग्रणी परियोजनाएं और कार्यक्रम आरंभ में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा हाथ में लिये गये; पर हाल में कंट्रेक्टरों और बिल्डरों ने अपनी संस्थाएं पंजीकृत करा ली हैं और वे जल एवं स्वच्छता तथा अन्य मुद्दों पर बिडिंग कर रही हैं। इसकी वजह से ग्रामवासियों और ठेकेदारों के बीच टकराव पैदा हुआ है। विश्वास के इस अभाव का स्वैच्छिक संगठनों पर भी प्रभाव पड़ा है।

   यह जानकारी 23 जुलाई 2014 को महत्वपूर्ण राज्यों में समर्थकारी वातावरण पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान एक सहभागी ने दी।

2. **उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** उग्रवाद–संभावित क्षेत्रों में कमीशन–आधारित कार्य किये जा रहे हैं और सच्ची संस्थाओं को कष्ट झेलना पड़ रहा है। एक असम–आधारित संगठन के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो (आसूचना ब्यरो)[18] की रिपोर्ट के लीक हो जाने की वजह से अनेक संस्थाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इन संगठनों के पास गया और जांचों की संख्या में वृद्धि हो रही। यह हाल का रूझान बहुत ही चेतावनीपूर्ण है। उपद्रव–संभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाली अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं को भूमिगत आतंवादी समूहों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा

---

[17] *सिंह सीमा एस. और नाथ चिमुन कुमार, उत्तर–पूर्वत भारत के गैर–सरकारी संगठन http://www.telegraphindia.com/1120914/jsp/northeast/story_15968412.jsp#.VH7tpZWUeQc*

[18] *http://www.scribd.com/doc/229511459/IB-Report-NGOs-June-2014*

है। अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं का कहना है कि उन्हें लाभ कमाने वाली संस्थाएं माना जाता है और भूमिगत समूह अक्सर उनसे अनुदान देने की मांग करते हैं। इस चुनौती की वजह से अनेक संस्थाओं ने अपने कार्यालय बंद कर दिये। कुछ संस्थाओं का कहना था कि एएफएसपीए के अंतर्गत कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के हस्तक्षेप की वजह से समुदाय तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।

3. **सरकार के साथ संबंधः** स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकार के लाइन विभागों और उनके अधिकारियों के साथ संपर्क करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 23 जुलाई 2014 को आयोजित "महत्वपूर्ण राज्यों में समर्थकारी वातावरण पर राष्ट्रीय परामर्श" के दौरान एक सहभागी ने यह बताया कि "गुवाहाटी में राज्य सरकार ने भारत सरकार गैर–सरकारी संगठनों की एक विपदा प्रबंधन बैठक आयोजित की थी, लेकिन इसमें सच्ची संस्थाओं को आमंत्रित नहीं किया गया।

4. **स्वैच्छिक क्षेत्र को नियंत्रित किया जा रहा है, उसका विनियमीकरण नहीं किया जा रहाः** यह महसूस किया गया कि एफसीआरए, 2010 के केवल स्वैच्छिक संस्थाओं को विदेशी अनुदान प्राप्त करने में रोकने के लिए लागू किया गया है। एक सहभागी ने अपने सामने उपस्थित चुनौतियों के बारे में इस प्रकार बतायाः "एफसीआरए अधिनियम और एफसीआरए नियमावली के बारे में अनेक बातें हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। यह अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक समस्या है।

   एक संस्था को पिछले कई वर्षों से विदेशी अनुदान प्राप्त न करने पर भी वर्ष 6000 रुपये का भुगतान करना पड़ा। इसकी रसीद भी नहीं दी गई। संस्था ने विदेशी अनुदान के शून्य बेलेंस और शून्य प्राप्ति का रिटर्न भरा था जैसा कि विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के अंतर्गत आवश्यक है, पर फिर भी इस संस्था को उक्त भुगतान करने पड़े। इसके अलावा वाईडब्ल्यूसीए शिलोंग को ब्लैक लिटिड कर दिया गया, पर उसने विदेशी निधियां प्राप्त नहीं की थीं।

5. **एफसीआरए के बारे में मिथक और गलत जानकारियांः** एक गुवाहाटी–आधारित संस्था से स्टेट बैंक आफ इंडिया से यह कहते हुए अधिसूचना मिली कि उसका एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द हो गया है, उसका नवीकरण कराने की जरूरत है और नवीकरण प्रमाणपत्र 30 जून 2014 तक भेजना होगा। पर इसके विपरीत एफसीआरए 2010 अधिनियम में हर पांच वर्ष में नवीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम ने वर्तमान गैर–सरकार संस्थाओं को अधिनियमन के बाद से पहले पांच वर्षों के लिए राहत प्रदान की है। इसका मतलब है कि सभी वर्तमान गैर–सरकारी संगठनों को अपना पंजीकरण एफसीआरए 2010 के बनने की अवधि के अंत में कराना है। इसका अर्थ यह है कि सभी गैर–सरकारी संस्थाओं को पहली मई 2016 से पहले पंजीकरण कराना है।

6. **पारदर्शिता और जवाबदेही:** अच्छी स्वैच्छिक संस्थाओं की पहचान करने के लिए कोई प्रणाली, या कोई कार्यतंत्र नहीं है। इसका एक ही समाधान है कि नेटवर्क इस मुद्दे को अपने हाथ में ले। सरकार यह वैधीकरण कर सकती है कि नेटवर्क सच्चा है या नहीं है।

   "गैर–सरकारी संस्थाओं का एक अन्य सरोकार या चिंता यह थी कि विश्वसनीयता कार्यतंत्र (क्रेडिबिलिटी मेकेनिज्म) मौजूद ही नहीं है। गैर–सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता रिपोर्ट के संबंध में एकल प्रणाली होना चाहिए। इससे निधियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।"

7. **उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव:** अनेक सहभागियों या उत्तरदाताओं ने बताया कि यहां तथाकथित घरेलू रूप से बने माफिया और सिंडिकेट्स पैसे या अनुदान की मांग करते हैं। वे विकास और अभिशासन एजेंडा को चलाते हैं। इसकी वजह से बहुत सी स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने विकास कार्य रोकने पड़े हैं। तथाकथित भूमिगत कार्यकर्ता इन स्वैच्छिक संस्थाओं को लोग फ्रैम और गोपनीय सांगठनिक जानकारी बताने के लिए कहते हैं।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के लिए ग्यारहवीं योजना का आउटले या परिव्यय 14, 409.08 करोड़ रुपये का है। सार्वजनिक निधियों से यह वंचना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बाकी देश की तुलना में विकास संबंधी अंतर दिखाई देते हैं। विकास का यह ढांचा भीतर से विकसित हुए माफियाओं और सिंडिकेटरों की वजह से है जो जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के बावजूद विकास और अभिशासन एजेंडा अपना हुक्म चला रहे हैं।

– सैयद सुल्तान काजी, पूर्वोत्तर विकास फाउंडेशन, इक्नामिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2 नवम्बर, 2013

8. **विरोध और अधिकार–आधारित कार्य की कम गुंजाइश:** जो संस्थाएं अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के साथ कार्यकलाप चला रही हैं, उन्हें नियमित आधार पर अपने कार्यकलापों और कार्य – योजनाओं के बारे में तथा परियोजना क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की गतिविधि के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करना पड़ता है। उन्हें ग्राम स्तरीय बैठकें आयोजित करने के लिए पहले से अधिकारियों को सूचना देनी पड़ती है।

   इसलिए इस राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं का कार्य एक चुनौती बन गया है। उग्रवादियों द्वारा उपद्रवग्रस्त बना दिये गये इस क्षेत्र में जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं को धमकियों और खतरों का सामना करना पड़ता है जिससे उनके सदस्यों की गतिशीलता प्रभावित होती है और उन्हें डर के वातावरण में काम करना पड़ता है। प्रभावित राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के कार्य में पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और स्थानीय अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं।

एक उत्तरदाता के अनुसार, "एक अन्य पहलू जिसे उजागर किया गया और जो नागरिक रिपोर्ट में नजर नहीं आया यह था कि स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्यों की सत्तारूढ़ सरकारें उनकी विचारधारा के अनुसार पसंद या फिर ब्लैकलिस्टिड करती हैं। इसलिए इन संस्थाओं के सामने सेवा प्रदाताओं के रूप में बड़ी समस्याएं खड़ी हैं।"

सिफारिशें

- **सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की रणनीतियां:** सरकार को स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ परामर्श करके पारदर्शिता को बढ़ाने और अपनी आधिकारिक प्रक्रियाओं में – विशेषकर पंजीकरण, अनुदान आदि के मामले में सरलता लाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
- **क्षमता निर्माण अभ्यास:** सरकार छोटी और संघर्षरत स्वैच्छिक संस्थाओं की क्षमताओं को निर्मित करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ मिल कर कार्य कर सकती है।
- **क्षेत्र की विश्वसनीयता:** स्वैच्छिक क्षेत्र को विश्वसनीयता मापदंडों पर बल देकर और बेईमान तथा झूठे संगठनों से निबट कर अपनी क्षेत्रीय पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए।
- **उत्तर–पूर्वी (एनई) वाणी के नेटवर्क को मजबूत बनाना:** इस मंच को मजबूत बनाने की और संदर्भगत मुद्दों को हल करने की तत्काल जरूरत है। इससे इस क्षेत्र की स्वैच्छिक संस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में आयेंगी और अपनी चुनौतियों का मुकाबला कर सकेंगी।
- इस क्षेत्र का स्वैच्छिक पूर्वोत्तर भारत के भीतर नेटवर्किंग को आयोजित करने की और नये भूमंडलीय रुझानों की समझ बनाने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए।

ओडिशा[19]

भारत में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावना है। पर यहां निर्धनता, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण अभाव और वंचना के मूलभूत रूप रहे हैं। यहां टिकाऊ विकास की एक चुनौती यह है कि यह राज्य सूखा, बाढ़ और समुद्री तूफानों जैसी बार–बार होने वाली प्राकृतिक विपदाओं से घिरा है।

ओडिशा में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और प्रभाव

ओडिशा में स्वैच्छिक संस्थाएं शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए विकास कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाएं चलाती आ रही हैं। वे बाल अधिकारों, महिला सशक्तीकरण, वृद्धावस्था

[19] *http://orissa.ngosindia.com/*

गृहों, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के मुद्दों पर काम करती रही हैं। इसके साथ ही वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, विपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, कृषि विकास सामाजिक जागरूकता, सीमांतीकृत समुदायों के उत्थान, निर्धनता और विपदा राहत कार्यक्रमों को लेकर काम करती रही हैं। ओडिशा में गैर–सरकारी संस्थाओं के अन्य प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं: पर्यावरण का संरक्षण, मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, पेय जल के मुद्दे, कानूनी जागरूकता और सहायता, पोषण, सूचना अधिकार, ग्रामीण और शहरी विकास, स्वयं सहायता समूहों का गठन और उन्हें सहायता तथा शोध और विकास।[20]

"श्री जगदानंदा ने मातृ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किये गये योगदान और कार्यकलापों को उजागर किया। उन्होंने स्वैच्छिक संस्थाओं को सलाह दी कि वे अपने कार्य के लिए चार–पांच मुद्दों की पहचान करें। इसके अलावा उन्होंने मुख्य मंत्री और सरकार के सचिवों के साथ अपने संपर्क के अनुभवों के बारे में बताया जो विशेष रूप से स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित चुनौतियों के संबंध में थे। उनका कहना था कि जो भी अच्छा कार्य किया जा रहा है उसे प्रकाशित और प्रसारित किया जाना चाहिए और साथ ही संवाद को जारी रखा जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बंगला देश, धाना, फिलिपींस जैसे देशों में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के अनुभवों की जानकारी दी। उनका कहना था कि आम लोगों पर विश्वास किया जाना चाहिए। अंत में उन्होंने स्वैच्छिक संस्थाओं को यह सलाह दी कि वे कार्य–योजना बनायें। उन्होंने कार्यों का दस्तावेजीकरण (डाक्यूमेंटेशन) करने के महत्व पर बल दिया।[21]

मुख्य मुद्दे और निहितार्थ

1. **सरकार द्वारा लागू किये गये कठोर फंडिंग कानून और नीतियां:** ओडिशा राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण दो स्तरों पर किया जाता है – एक तो रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज (आईजीआर) के साथ राज्य स्तर पर और दूसरे जिला स्तर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पास।[22] सहभागियों ने जिला स्तर पर पंजीकरण को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। जिला स्तर पर भ्रमपूर्ण उप–नियम (बाइलॉज) हैं जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई संस्था एक जिले में पंजीकृत है और दूसरे जिलों में अपना काम बढ़ाना चाहती है तो इस संबंध में कोई भी स्पष्टता नहीं है। उत्तरदाताओं का कहना था कि ये बाईलॉज या उपनियम भ्रामक है। पंजीकरण और नवीकरण जिला प्रशासन की दया पर निर्भर करता है।
2. **स्वैच्छिक संगठनों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार:** "उत्तरदाताओं का या सहभागियों का यह कहना था कि पंजीकरण के लिए अत्यधिक दस्तावेजीकरण करने की जरूरत होती है, और हर जिले में यह स्थिति अलग–अलग है। इस प्रथा के चलते लोग पैसा बना रहे हैं और

[20] *http://orissa.ngosindia.com/*
[21] *बदलते परिदृश्य में स्वैच्छिक संगठनों की चुनौतियों पर ओडिशा में 22–23 मई 2013 को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन*
[22] *16 अप्रैल 2014 को ओडिशा में फोकस ग्रुप विचार–विमर्श*

भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यह सुझाव दिया गया कि पंजीकरण प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। कुछ संस्थाओं का कहना था कि पंजीकरण की आनलाइन प्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल, राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनाई जानी चाहिए ताकि प्रक्रिया में तेजी लाते हुए भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सके।[23]

3. **कौशलों का अभाव:** कौशलों के अभाव में जमीनी स्तर की और छोटी संस्थाओं को पंजीकरण में दिक्कत आती है। इसका एक कारण यह भी है कि कानून अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। पर ये संस्थाएं क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग आसानी से कर लेती हैं। सांगठनिक प्रतिनिधियों का कहना था कि कानून सरल और क्षेत्रीय भाषा में बनाये जाने चाहिए।

4. **नवाचार और रचनात्मकता में गिरावट:** अपने नियोजित कार्यकलापों और कार्यान्वयन प्रक्रिया को दृष्टि से अनुकर्ता संस्थाएं, सरकारी और निगमित कंपनियां अधिकाधिक रूप से आक्रामक हो गई हैं। इसलिए विकल्प की स्वतंत्रता सीमित होती है। इससे जमीनी स्तर की संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए इसने क्षेत्र के उभरने वाली अनूठी आवाज का दम घोंट दिया है। रचनात्मकता और नवाचार की संभावना प्रदान करने वाले अनुदान संसाधनों में गिरावट आ रही है।

5. **सामूहिकीकरण और सहयोग का अभाव:** एकजुट और सामूहिक शक्ति का और जिला/राज्य स्तरीय नेटवर्क का अभाव है। स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच एकजुटता और नेटवर्किंग के अभाव की वजह से मॉनीटरिंग, संप्रेषण और संकेद्रित कार्रवाई संभव नहीं हो पाती।

सिफारिशें

- **हितधारकों के साथ भागीदारी के लिए रणनीतियां:** संचार माध्यमों और सरकार के साथ कार्य और सरकारी निकायों के साथ समन्वय को मजबूत बनाने की जरूरत है। इस दृष्टि से राज्य और जिला स्तर पर एक कार्यतंत्र स्थापित करने की जरूरत है।
- **"एक प्रहरी के रूप में कार्य करना:** स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकार की नीतियों और योजनाओं का आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। सरकारी नीतियों पर नजर रखने के लिए उन्हें एक प्रेरक और प्रहरी की भूमिका निभानी चाहिए।
- **स्वैच्छिक संस्थाओं का क्षमता–निर्माण:** "कुछ उत्तरदाताओं ने विदेशी अनुदान के क्षेत्र में चुनौतियों, एफसीआरए और आय कर जैसे तकनीकी पहलुओं पर और अधिक विचार–विमर्श की जरूरत पर बल दिया। छोटी और जमीनी स्तर की संस्थाओं को समय–समय पर कानूनी अनुपालनों के संबंध में प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण की जरूरत होती है।"[24]

---

[23] *16 अप्रैल 2014 को ओडिशा में फोकस ग्रुप विचार–विमर्श*

[24] *बदलते परिदृश्य में स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियों पर कार्यशाला, 22–23 मई, 2013, ओडिशा*

- कार्यक्षम और प्रभावकारी रूप से काम करने और वित्तीय जवाबदेही, पारदर्शिता और आंतरिक अभिशासन का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को संसाधन जुटाने और वित्तीय रूप से स्थिरतापूर्ण होने की जरूरत है।
- **स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच संबंध को मजबूत बनाना:** स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच सामूहिकीकरण और नेटवर्किंग को सुधारने की जरूरत है तथा अधिक सहमति–आधारित सामूहिक नियमन अस्तित्व में आ सके।

"स्वैच्छिक क्षेत्र की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आगे आना होगा और जवाबदेही के मामले में मिसाल कायम करनी होगी तथा सांस्कृतिक शिक्षण की संस्कृति को विकसित करते हुए नवाचारपूर्ण कार्य करते रहना होगा। क्योंकि स्वैच्छिक क्षेत्र को समवृद्धि और सशक्त बनाने के प्रयास में राष्ट्रीय नीति या इरादा एकदम स्पष्ट था, इसलिए उन्होंने स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय नीति का एक आलोचनात्मक विश्लेषण करने को कहा। उनका फीडबैक आवश्यक था ताकि राष्ट्रीय नीति के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। इससे राष्ट्रीय नीति की तर्ज पर राज्य नीति बनाने की दिशा में कार्य करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि परामर्श से उभरे मुद्दों और प्रश्नों को सरकार में नीति–निर्माताओं को संप्रेषित किया जायेगा।

– प्रोफेसर राधा मोहन, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व राज्य सूचना आयुक्त

भाग–4

परिणाम

उपद्रव–ग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित मुद्दे अन्य राज्यों की स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित मुद्दों से काफी अलग हैं। यहां समुदाय के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं पर राज्य, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय अधिकारी नजर रखते हैं क्योंकि ये संस्थाएं सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए नागरिक प्रहरियों के रूप में काम करते हैं। संस्थाओं के कार्यों पर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों का दबाव काफी अधिक बढ़ा है। स्वैच्छिक संस्थाओं को नियमित आधार पर स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करते रहना पड़ता है। अक्सर उन्हें संस्थागत कार्य का स्पष्टकीकरण मांगते हुए नोटिस/पत्र प्राप्त होते हैं। अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के साथ कार्य करने वालों की जांच और छानबीन की जाती है और उन्हें अपने कार्यकलापों के बारे में विस्तृत रिपोर्टें जमा करने का आदेश दिया जाता है। स्थानीय अधिकारी स्वैच्छिक संस्थाओं और समुदाय–आधारित संगठनों पर दबाव डालते हैं और उनके कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को लेकर अविश्वास का वातावरण मौजूद होता है।

सिफारिशें

- संचार के माध्यमों और क्षेत्र कार्यक्रमों को मजबूत बनानाः उपद्रवग्रस्त राज्यों में जमीनी स्तर की संस्थाओं को कानूनी अनुपालनों, नए अवसरों आदि के वारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती।
- जमीनी स्तर की संस्थाओं और दूरदराज क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्थाओं के सामने उपस्थित चुनौतियों और समस्याओं को राज्य स्तर पर निरूपित करने और राष्ट्र स्तर पर बताए जाने की जरूरत है।
- कानूनी अनुपालनों और आंतरिक शासन का विश्लेषण को लेकर संस्थाओं की क्षमता निर्माण करने की जरूरत है।
- जमीनी स्तर की संस्थाओं को स्व–प्रमाणन मॉडल और आचार संहिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
- फेडरेशन, राज्य स्तरीय नेटवर्क बनाने और सामूहिकीकरण की जरूरत है।
- इन क्षेत्रों में आधारित स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और क्षमता निर्माण कार्य में भाग लेना

वर्तमान रिपोर्ट में शोध निष्कर्षों को संकलित कर उनका विश्लेषण किया गया है और स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए समर्थकारी वातावरण के घटकों पर विचार किया गया है। इसके साथ ही इसमें यह विचार भी किया गया है कि स्वैच्छिक क्षेत्र के संदर्भ में सुझावों और सिफारिशों को किस प्रकार अपनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित समस्याओं की पहचान की गई है। इन मुद्दों का दस्तावेजीकरण किया जायेगा और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और संचार माध्यमों को इनकी जानकारी दी जायेगी। इस पहलकदमी का उद्देश्य समस्याओं को उजागर करना और क्षेत्र को मजबूत बनाना है।

यह रिपोर्ट स्वैच्छिक संस्थाओं के नेताओं की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के बिना संभव न हो पाती। उन्होंने विश्वास और एकजुटता की भावना के साथ जानकारी प्रदान की है।

उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में विकास, जनजातीय समुदाय और समाज पर प्रभाव

भारत के अधिकतर राज्यों में अनेक संघर्ष उभर कर आये हैं। सबसे आम प्रतिरोध ओडिशा में वेदांता[25] और पोस्को को लेकर हुए हैं जहां राज्य के दमन के बावजूद जनतांत्रिक ताकतें संघर्ष कर रही हैं। किन्तु इन विशिष्ट और स्थानीय संघर्षों से भी अधिक महत्वपूर्ण रूप में माओवादियों और राज्य सरकार के बीच टकराव सामने आये हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की दुर्दशा में योगदान किया है। इसकी वजह से आदिवासी क्षेत्रों में उसमान विकास देखने में आता है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों के निबटारे के अभाव से भी स्थिति बिगड़ी है। उक्त कारकों की वजह से राज्य के कार्यान्वयनकर्ताओं और विशेषकर पुलिस और प्रशासन द्वारा आदिवासी लोगों और समुदाय के सदस्यों पर अत्याचार किये गये है।

झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थिति अत्यंत भिन्न है। यहां के जनजातीय लोगों का इतिहास रहा है कि वे गैर-आदिवासी किसानों, सूदखोरों और व्यापारियों के हाथ अपनी जमीनें खोते रहे हैं। इसी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवादियों के लिए जगह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जब तक एक व्यापकतर जनतांत्रिक आंदोलन आदिवासी विकास का एक नया समतापूर्ण दृष्टिकोण विकसित नहीं करता तब तक असमान विकास की इन समस्याओं के बढ़ते रहने की संभावना है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य इस प्रकार हैं: असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अनेक दशकों से इस क्षेत्र और राज्यों में विद्रोह और उपद्रव का बोलबाला रहा है। यहां एक या दूसरे रूप में टकराव मौजूद रहे हैं। इससे विकास की गति धीमी हो गई है जिसने इस वातावरण को और भी उग्र बना दिया जिससे इस क्षेत्र का राजनीतिक विखंडन हुआ है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का कठिन भू क्षेत्र है, यहां सघन वनाच्छादन है और इसकी म्यानमान तथा बंगलादेश के साथ खुली सीमाएं हैं जिसने इन विद्रोहों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इन टकरावों की वजह से "आतंकवादियों" और उनके "हमदर्दों के कार्यकलापों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाइयां की जाती रही है। इसके परिणामस्वरूप मानव अधिकारों का अनेक प्रकार से उल्लंघन हुआ है जैसे कि हत्याएं, उत्पीड़न, पूरे गांवों को जला देना, आदि।

केन्द्र सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को भारी सहायता मंजूर की है और इसे भारी मात्रा में केंद्रीय निधियां प्रदान की जा रही हैं। पर बजट खर्च न किये जाने की वजह से अधिकतर निधियां समाप्त या लैप्स हो जाती हैं।

[25] www.pib.nic.in

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नागरिक रिपोर्ट : बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ओडिशा।
2. प्लगिंग दि लीकः पूर्वोत्तर भारत और विकास, सैयद सुल्तान काजी, पूर्वोत्तर विकास फाउंडेशन, इक्नॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, 2 नवम्बर 2013
3. स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति पर कार्यशालाओं की रिपोर्टें: अवसर और चुनौतियां
4. एफसीआरए वार्षिक रिपोर्ट 2009–10
5. एफसीआरए वार्षिक रिपोर्ट 2010–11
6. एफसीआरए वार्षिक रिपोर्ट 2011–12
7. वॉइस 2013, 20 सितंबर 2013 को आयोजितः स्वैच्छिक क्षेत्र का सामूहिकीकरणः एक त्रिपक्षीय संबंध
8. बदलते परिदृश्य में स्वैच्छिक संगठनों की चुनौतियों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला, 22–23 मई 2013, ओडिशा
9. बदलते परिदृश्य में स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियों पर क्षेत्र स्तर की कार्यशाला, फरवरी 2014, गुवाहाटी
10. झारखंड के सामाजिक–आर्थिक विकास में गैर–'सरकारी संस्थाओं की भूमिका
11. 16 अप्रैल 2014 को ओडिशा में सघन समूह परिचर्चा
12. 29 अप्रैल, 2014 को हैदराबाद में सघन समूह परिचर्चा
13. स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति पर बैठक : चुनौतियां और अवसर, रांची, झारखंड, जुलाई 15, 2014
14. 23 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में आयोजित समर्थकारी वातावरण पर राष्ट्रीय परामर्श
15. 7 अगस्त 2014 को मेघालय में स्वैच्छिक क्षेत्र के अवसरों और चुनौतियों पर कार्यशाला
16. भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण एक अध्ययन रिपोर्ट
17. बिहार राज्य विजिट, 2014
18. छत्तीसगढ़ राज्य विजिट, 27 अक्टूबर 2014
19. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की गैर–सरकारी संस्थाएंः सिंहा सीमा एस और चिमुन नाथ कुमार

वेबसाइट

1. http://www.vaniindia.org/publication.php
2. www.pib.nic.in
3. http://www.ijbmi.org/papers/Vol%282%294/version-1/D241935.pdf
4. Annual Activity Report, April 2012-March 2013, Integrated Development Foundation, Patna
5. http://www.ssvk.org/activities.htm#
6. http://www.apmas.org/annual13-14.pdf
7. http://www.ijbmi.org/papers/Vol%282%294/version-1/D241935.pdf
8. http://www.telegraphindia.com/1120914/jsp/northeast/story_15968412. jsp#.VH7tpZWUeQc
9. http://www.scribd.com/doc/229511459/IB-Report-NGOs-June-2014
10. http://orissa.ngosindia.com/
11. www.pib.nic.in

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता (अंग्रेजी)
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना (अंग्रेजी)
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह (अंग्रेजी)
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ (अंग्रेजी)
- जी–20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण (अंग्रेजी)
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी व हिन्दी)
- भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी व हिन्दी)
- बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी व हिन्दी)
- वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश नीतिगत सार (अंग्रेजी व हिन्दी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी व हिन्दी)

वाणी का परिचय

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) स्वैच्छिक संस्थाओं का एक शीर्ष निकाय है। वर्ष 1988 में स्थापित यह संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोन्नतिकर्ता/संरक्षरक और उसकी सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करती है।

वाणी का आधार

- भारत के 25 राज्यों में फैली 10000 स्वैच्छिक संस्थाएं हैं।
- यह स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में प्रकाशनों, शोध, लेखों और जानकारी का एक संसाधन केंद्र है।

लक्ष्य

- एक मंच में रूप में स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाना।
- एक नेटवर्क के रूप में भारत में स्वैच्छिक कार्रवाई का एक सचमुच राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए क्षेत्र के साझे मुद्दों और सरोकारों को एकीकृत करना। इसके अलावा वाणी बदलाव के एकजुट और टिकाऊ आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलकदमियों के बीच संपर्क बनाती है।
- एक एसोसिएशन के रूप में; मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई और विशेषकर अपने सदस्यों के बीच दीर्घकालिक टिकाऊपन को पोषित की दिशा में कार्य करना।

कार्य के क्षेत्र

- स्वैच्छिक क्षेत्र में सुशासन के तौर–तरीकों को बढ़ावा देना
- नेटवर्कों को मजबूत बनाना
- स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्र आवाज को रूप प्रदान करना
- स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों के संबंध में शोध और पैरवी करना।

VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110 048
फोन : 01129228127, 29226632, टेलिफैक्सः 011–41435535
ईमेलः info@vaniindia.org,
वेबसाइटः www.vaniindia.org